न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 02/2022 प्रा.प.
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/63

उनवान

1. श्रीमती भुरी बाई पति भीमा जी सालवी उम्र 75 साल निवासी बान्दरवाडा देवली तहसील सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)
2. श्री हीरालाल पिता खुमा जी सालवी उम्र 55 साल निवासी थडा हाल बान्दरवाडा. देवली तहसील सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)
3. श्री किशोर पिता हीरालाल जी सालवी उम्र 30 साल निवासी बान्दरवाडा देवली तहसील सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री तख्तसिह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
2. श्री गमेरसिह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
3. श्री उदयसिह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
4. श्री फतेहसिह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
5. श्री भवरसिह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
6. श्री केशरसिंह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
   सभी निवासी बान्दरवाडा देवली जिला –सलूम्बर (राज.)

–विपक्षीगण

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांकः– 20/01/25

उपस्थितिः– श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता – प्रार्थीगण
श्री गणेश मेहता अधिवक्ता–विपक्षी सं. 1 से 6 तक

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा–151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भुमि मोजा बान्दरबाडा तहसील सलूम्बर में स्थित है जिसके पुर्व खातेदार श्री लाला भीमा पिता पुजा बलाई निवासी बान्दरवाडा के नाम पर खातेदारी अधिकार संवत् 2029–2032 तक प्राप्त थे जिस आधार पर उक्त कृषि भुमि पर काश्त भी उक्त पुर्वज की ही थी। लाला पिता पुजा बलाई निवासी बान्दवाडा का देहावसान हो गया जिस कारण उक्त कृषि भुमि का एक मात्र वारीसान भीमा पिता पुजा बलाई बना जो कि उक्त पुर्ण भुमि का स्वामी रहा जो कि खसरा नम्बर 1/1छ रहा जिसके जिसके कुलीया रकबा 9 बीघा था। बन्दोबस्त के समय उक्त खसरा नम्बर के नये नम्बर 355,

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

356, 357, 359, 360, 361, 362, 363 बने जिसका रकबा कमश 0.33, 0.02, 0.28, 0.20, 0.35, 1.11, 0.07, 0.02 बना जो कि कुलीया रकबा 2.38 हैक्टयर बना जिसमे 0.33 हैक्टयर जो कि वादी के खाते रहा तथा अन्य भुमि को बिलानाम कर दी गई जिसके आराजी नम्बर 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363 थे। उक्त जमीन का आवंटन जो कि विपक्षीगण के पिता के नाम पर कर दी जो करने का राजस्व रेकार्ड मे कोई अधिकार नहीं है जिस कारण उक्त जमीन जो कि पर्वतसिंह के देहावसान हो जाने के कारण उक्त जमीन को नामान्तकरण पारीत नही हो सकता है जिस कारण उक्त जमीन पुनः मुल प्रार्थीगण के खाते की जानी आवश्यक है।

प्रार्थीगण अनुसूचित जाति से आते है जिनकी जमीन को उनकी जाति के अलावा किसी को भी आवटन नहीं किया जा सकता है परन्तु राजस्व अधिकारी के द्वारा उक्त भुमि को अन्य व्यक्ति को आवटन करने का कानुन मे कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि उक्त प्रावधान के तहत धारा 42 व 175 काश्तकारी अधिनियम लागु होते है जिस कारण उक्त हस्तान्तरण अप्रभावी है। यह कि उक्त प्रार्थीगण की जमीन जो कि दिनांक 04–06–1992 की आधार वर्ष दिनांक 04–06–1992 के तहत उक्त कृषि भुमि को बिलानाम किया गया था जिस कारण उक्त जमीन का आवंटन निरस्तनीय है क्योंकि उक्त अधिनियम एस.सी./एस.टी. वर्ग की जमीन का आंवटन नही हो सकता है जिस कारण उक्त अधिनियम के प्रभावी होने से उक्त आवटन ही प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के पति के द्वारा समर्पण नहीं किया गया तथा न ही किसी प्रकार से कोई समर्पण का पंजीयन दस्तावेज किया गया। जो कि उक्त भूमि पर आज भी प्रार्थीगण ही काबिज है तथा विपक्षीगण किसी प्रकार से मौके पर काबिज नहीं है। धारा 175 आर.टी.एक्ट के तहत् भी किसी व्यक्ति के द्वारा उक्त भूमि हस्तान्तरण अवैध तोर पर कर दी जाती है तब उक्त भूमि भी अन्य व्यक्ति के खाते नहीं हो सकती क्योंकि केवल उक्त भूमि जब हस्तान्तरण एस.सी. /एस.टी. वर्ग के व्यक्ति के द्वारा केवल उक्त परिस्थिति मे ही भूमि हस्तान्तरण पर प्रतिवन्ध नहीं है जहां पर एस.सी./एस.टी. व्यक्ति द्वारा भूमि पर बैंक का ऋण प्राप्त किया जावे या उक्त भूमि सरकार या अर्धसरकार ऐजेन्सी के द्वारा निलामी में बोली जावे। जिस पर 175 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही नहीं चलेगी। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के पति की भूमि को जिसका कोई पंजीयन नहीं कराया गया तथा मात्र झूठे पत्र को बताकर के तहत् उक्त भूमि को समर्पण बताकर बिलानाम सरकार करके इन्तकाल पारित किया गया। जो कि अवैध है। उपरोक्त विपक्षीगण जो कि उक्त भूमि के वर्तमान में प्रार्थीगण के जाति संवर्ग के नहीं है। जिनके नाम पर विपक्षीगण जिला कलेक्टर व तहसीलदार के द्वारा विधि की पालना किये बिना उक्त भूमि को अन्य विपक्षीगण के नाम पर आवंटित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज है विपक्षीगण को कोई सरोकार नहीं है। जिस कारण उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण के अलावा किसी का कोई अधिकार नहीं है। जिससे मौके पर कब्जा प्रार्थीगण का ही है जिस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा एवं सथाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्ध पेश है।

अतः श्री मान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरुद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि विपक्षीगण अथवा उसके प्रतिनिधी मुलवाद के निस्तारण तक उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं करे तथा नही प्रार्थीगण की काश्त में दखलन्दाजी करे तथा नहीं किसी प्रकार से प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात् मे किसी प्रकार से कोई निमार्ण कार्य करे ।

प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश मेहता ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र अस्वीकार है क्योकि उपरोक्त तथ्य की उत्तरदाता को जानकारी में नहीं है जिस कारण उपरोक्त तथ्य को प्रार्थीगण स्वय साक्ष्य से साबित करे। खसरा संख्या 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363 का आंवटन उत्तरदाता के पिता को

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

हुआ था। प्रार्थना पत्र अस्वीकार है जिसको साक्ष्य से प्रार्थीगण स्वय साबित करावे इस प्रकार विधि आवंटन की गई जमीन पर लागु नही होता है तथा प्रार्थीगण विपक्षीगण को हुये आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही आज दिनाक तक नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य इस प्रकार विधि आवंटन की गई जमीन पर लागु नहीं होता है। मौक पर विपक्षीगण खातेदार व काश्तकार है जिस कारण तथ्य का गलत तोर पर अंकन है।

विपक्षीगण ने जवाब के अन्त मे विशेष कथन कर अंकित किया कि विपक्षीगण को उक्त जमीन आवंटन होने के उपरान्त से उक्त जमीन पर काबिज है जिस कारण उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार से कोई वाद प्रार्थीगण का नही चल सकता है तथा किशोर कुमार व हीरालाल अनावश्यक पक्षकार है जिस कारण प्रार्थना पत्र कुसंयोजन से ग्रसित है। उक्त जमीन पर जो अतिक्रमण प्रार्थीगण के द्वारा किया गया उसको हटाने हेतु विपक्षीगण से प्रार्थीगण के द्वारा रकम को प्राप्त की थी जिस कारण उक्त वाद चल नहीं सकता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि एस.सी. वर्ग की भूमि का आवंटन जो एस.सी. वर्ग को ही होनी थी, लेकिन इस प्रकरण मे राजपुतों का आवंटन हो गई। धारा 42 आर. टी.एक्ट का उल्लघंन है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारि किया जाना फरमावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने बहस मे अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण को प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का नियमानुसार 50 से 60 वर्ष पूर्व सरकार से हुआ है। वर्तमान मे भूमि के खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व जमाबंदी संवत् 2071–2074 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363 कुल किता 07 कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर भूमि परबतसिंह पिता धुलसिंह राजपूत के नाम दर्ज अंकित थी। तथा वर्तमान मे उक्त वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण खाते दर्ज है जिसे प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की ईबारत मे भी अंकित किया है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे जो तथ्ये दिये है वे अभी उक्त प्रार्थना पत्र मे साबित नही है, जिनका निर्धारण समूचित साक्ष्य के उपरान्त मूलवाद मे की जानी है चूंकि मूल वाद घोषणा है जिसमे पक्षकारो हितो का निर्धारण प्रकरण मे साक्ष्य तथा सबूतो के आधार पर पक्षकारान को सुना जाकंर गुणावगुण पर तय किया जाना है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा–151 जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 20/01/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)